...निशियल्स जज

...र्थी ने ... (हिन्दी ... पेश ...
... 14.2.18

... नकल ... को ... पेश ...
दिनांक 22/2/18

... वास्ते ...
दिनांक 28/2/18

...पत्रावली वास्ते ... पेश हो।
SDOK
... [illegible]

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो इ... की तामील में ज...
	वकील प्रार्थी वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रा० पत्र O 41 R 5 (2)(3) CPC पेश कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-3/18 का प्रचलन अपील अवधि तक स्थगित रखे जाने एवं विवादित भूमि की स्थिति यथावत बनाए रखने का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र दिनांक 21.3.18 को पेश हो। SDOK उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
...3.18	वकील वादी उपस्थित। बहस प्रा० पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी पर मनन किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी/वादी का कब्जा है यदि डिक्री का अपील अवधि के दौरान प्रचलन हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रा० पत्र प्रार्थी O 41 R 5 (2)(3) CPC स्वीकार किया जाता है। निर्णय व डिक्री दिनांक 15/3/18 का प्रचलन अपील अवधि तक रोके जाने के आदेश	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/286 सन् 2012

वउनवान

1. गोकल पुत्र गिर्राज जाति जोगी निवासी बसेठ
2. घनश्याम पुत्र गिर्राज जाति जोगी निवासी बसेठ
3. मदन पुत्र गिर्राज जाति जोगी निवासी बसेठ
4. श्याम पुत्र गिर्राज जाति जोगी निवासी बसेठ
5. मुल्लीराम पुत्र गिर्राज जाति जोगी निवासी बसेठ

तहसील कठूमर जिला अलवर ———— वादीगण

बनाम

1. माया पुत्री घमण्डी पत्नी छगनलाल जाति जोगी निवासी बसेठ हालवासी लपारा तहसील राजगढ जिला अलवर
2. ललता पुत्री घमण्डी पत्नी कैलाशचन्द जाति जोगी निवासी बसेठ हालवासी लपारा तहसील राजगढ जिला अलवर
3. शर्मो देवी पत्नी सुदर्शन जाति भाट निवासी नगली मेघा तहसील रामगढ जिला अलवर

—— प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :—

श्री सुभाषचन्द 'अर्रूवा' एडवोकेट — वकील वादीगण

निर्णय दिनांक 15.03.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1120 रकवा 0.60 हे0 जिसका साविक खसरा नम्बर 823 मिन रकवा 2 वीघा 12 विस्वा 838 मिन रकवा 2 विस्वा ग्राम बसेठ तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी वादीगण के पिता गिर्राज के तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो विरासत में वादीगण को प्राप्त हुई है। जिस पर वादीगण अपने भाई रिसीराम के साथ काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। रिसीराम लाबल्द फौत हो गया है जिसका तर्का वादीगण ने पाया है। विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादनी संख्या 1,2 के पिता घमण्डी का नाम गलत रूप से चला आ रहा था। जवकि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण के पिता का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादनीगण चतुर व चालाक किस्म की औरतें है जिन्होंने वादीगण के पक्ष में मुकदमा वउनवान गोकुल बनाम भैरू न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर में अपील संख्या 59/2007 दिनाक 27.08.2010 को डिकी हो गया था। दौराने अपील प्रतिवादीगण ने मृतक घमण्डी का विरासत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

इन्तकाल अपने नाम दर्ज वो तस्दीक करा लिया था। वक्त दावा दायरी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज नहीं था। इस वजह से दावा बउनवानप गोकुल बनाम शिम्भू मुकदमा नम्बर 1/24/99 प्रतिवादनी संख्या 1,2 को पक्षकार नहीं बनाया अपील संख्या 50/2007 निर्णय दिनांक 27.08. 2010 की अपील भैरू बनाम गोकुल न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जिसकी जानकारी प्रतिवादनी सं0 1,2 को जानकारी होने के बाबजूद वादीगण को विवादित आराजी से महरूम करने की गरज से प्रतिवादनी सं0 1 ,2 वादीगण को खातेदार मानने से इन्कार कर रहे है। विवादित आराजी की डिक्री न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 27.08.2010 को वादीगण के पक्ष में पारित की गई थी। लेकिन राजस्व रेकार्ड में 1/3 हिस्से पर प्रतिवादनी संख्या 1,2 का नाम गलत इन्द्राज जाने के कारण डिक्री का अमल राजस्व रेकार्ड में नहीं हो सका। जिस कारण प्रतिवादनी संख्या 1,2 ने विना विना जरे बदल वो विना कब्जा लिये दिये प्रतिवादी संख्या 3 के हक में विवादित आराजी के 1/3 हिस्से का वयनामा दिनांक 1.11.2012 को तहरीर कराकर पंजीवद्व करा दिया। जो वयनामा प्रारम्भ से ही शून्य है तथा वादीगण के हक हकूकों के मुकावले वातिल एंव वेअसर है जो वयनामा शून्य घोषित किया जावे। भैरू वगैरा ने 1/6 हिस्से का वयनामा दिनांक 02.11.2012 को विना जरे बदल वो विना कब्जा लिये दिये श्रीमति मोरपती पत्नी लालाराम भाट निवासी नट बस्ती वगड राजपूत के हक में तहरीर करा दिया जो वयनामा भी प्रारम्भ से शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1,2,3 ने एलानियां धमकी दी है कि हम वयनामा के आधार पर अपने नाम इन्तकाल दर्ज व तस्दीक करायेगी तुम्हें विवादित आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देंगी जवरन वेदखल कर हम खुद कब्जा करेंगी। अतः वादीगण ने विवादित आराजी की खातेदारी घोषित करने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने व वाद वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1–2,3 रजिस्टर्ड एडी तामील हो जाने के बाबजूद हाजिर अदालत नहीं आयीं जिनके विरूद्व दिनांक 23.09.2013 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से दिनांक 31.05. 2016 को श्री नारायणसिंह सैनी एडवोकेट ने हाजिर होकर प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 7 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03. 2017 को खारिज किया गया है।

वादीगण ने अपने दावा की ताइद में जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2, जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी संवत् 2014 से 2017 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत् 2022 प्रदर्श 5, नकल ख0गि0 संवत् 2015 से 2018 प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी संवत् 2019 से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

2022 प्रदर्श 7, नकल आदेश दिनांक 27.08.2010 प्रदर्श 8 नकल पर्चा डिक्री प्रदर्श 9 राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर, नकल वयनामा क्रमांक 3326 दिनांक 01.11.2012 प्रदर्श 9 व नकल वयनामा दिनांक 02.11.2012 प्रदर्श 10 पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी गोकुल पी डब्ल्यू 1, पी डब्ल्यू 2 गवाह भगवानसिंह गवाह पी डब्ल्यू 3 अर्जन के वयान कराये।

वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण के पिता गिर्राज की खातेदारी की आराजी थी। गिर्राज फौत हो गया। वादीगण शामलात में काश्त कर रहे है। वादीगण का भाई रिसीराज के फौत होने पर उसका तर्का भी वादीगण ने पाया है। विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा वादीगण की खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा गलत रूप से प्रतिवादनी संख्या 1,2 के पिता घमण्डी के नाम दर्ज हो गया। घमण्डी का लडका शम्भू फौत होने पर उसके पुत्र भैरू, औमप्रकाश, नरेश, हेमा, प्रभा, रामा वेवा दर्ज हो गई। गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर घमण्डी के पुत्र शंभू के वारिसान के नाम दावा दायर कर दिया। जो माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अलवर द्वारा डिक्री कर दिया। जिस निर्णय एंव डिक्री की अपील भैरू वगैरा ने राजस्व मण्डल अजमेर में कर दी। इस दौरान घमण्डी की विरासत दर्ज हो गयी तथा प्रतिवादनी संख्या 1,2 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय कर दिया। वाद वादीगण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से सावित है। अतः वादीगण का दावा मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वहस अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया। मुताविक जमाबन्दी ग्राम बसेठ संवत् 2068 से 2071 प्रदर्श 1 के खाता संख्या 296 पर खसरा नम्बर 1122 रकवा 0.68 हे. माया, ललता पुत्रियान घमण्डी 1/3 भैरू, औमप्रकाश, नरेश पि0 शंभू 1/3 गिर्राज पुत्र छुट्टन 1/2 जोगी सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताविक नकल मिलान क्षैत्रफल संवत् 2028 (प्रदर्श 2) हाल खसरा नम्बर 1122 रकवा 2 वीघा 14 विस्वा के साविक खसरा नम्बर 823 मिन रकवा 2 वीघा 12 विस्वा व खसरा नम्बर 828 मिन रकवा .02 वीघा दर्ज रेकार्ड है। मुताविक नकल जमाबन्दी ग्राम बसेठ संवत् 2028 (प्रदर्श 3) के खाता संख्या 122 पर खसरा नम्बर 1122 रकवा 2 वीघा 14 विस्वा बा0प्र0 घमण्डी गिर्राज पि0 छुट्टन जाति जोगी सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। मुताविक नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बसेठ संवत् 2014 से 2017 (प्रदर्श 4) के खाता संख्या 19 मजकूर पर खसरा नम्बर 823 रकवा 2 वीघा 18 विस्वा भूमि अधिकारी जागीरदार जवाहरसिंह वगैरा मजकूर एंव नाम कृषक विवरण घमण्डी गिर्राज पि0 छुट्टन जोगी सा0 देह खातेदार वकाश्त गिर्राज मजकूर दर्ज रेकार्ड है। मुताविक नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बसेठ संवत् 2022 से 2025 (प्रदर्श 5) के खसरा नम्बर 823 रकवा 2 वीघा 18 विस्वा घमण्डी गिर्राज पि0 छुट्टन जोगी सा0 देह खातेदारान वकाश्त गिर्राज मजकूर दर्ज रेकार्ड है। मुताविक नकल ख0गि0 ग्राम बसेठ संवत् 2015 से 2018 (प्रदर्श 6) के खसरा नम्बर 823 रकवा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

2 बीघा 18 विस्वा पर नाम कृषक घमण्डी, गिर्राज पि0 वुद्दा समान भाग जोगी सा0 देह खातेदारान काश्त गिर्राज मजकूर दर्ज होकर सवंत् 2015, 2016, 2017, 2018 कास्त जिन्स मॅूग, बाजरा इत्यादि दर्ज है। मुताविक नकल ख0गि0 ग्राम बसेठ संवत् 2019 से 2022 (प्रदर्श 7) के खसरा नम्बर 823 रकवा 2 वीघा 13 बिस्वा पर नाम कृषक विवरण घमण्डी, गिर्राज पि0 छुट्टन समान भाग जोगी सा0 देह खातेदार बकाश्त गिर्राज मजकूर काश्त जिन्स विविध संवत् 2019 से 2022 दर्ज है। उपरोकत विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने की दिनांक 15.10.1955 को नकल जमाबन्दी (सैटलमेंट खतौनी) ग्राम बसेठ संवत् 2014 से 2017 (प्रदर्श 4) में भूमि अधिकारी (जागीरदार वगैरा) के कॉलम संख्या 4 में जवाहरसिंह वगैरा मजकूर एंव कॉलम संख्या 5 नाम कृषक विवरण में घमण्डी गिर्राज पि0 छुट्टन जोगी सा0 देह खातेदार बकाश्त गिर्राज मजकूर दर्ज रेकार्ड होने से राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत घमण्डी, गिर्राज खातेदार काश्तकार एडमिट किये जाने की परिभाषा में आते है। अधिनियम के प्रारम्भ होने की दिनांक को घमण्डी गिर्राज पि0 छुट्टन जोगी खातेदार के रूप में काविज थे न कि खुदकाश्त के कास्तकार अथवा शिकमी कास्तकार हो। खातेदारी अधिकार वैधानिक अधिकार है। अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय कृषक खातेदार के रूप में दर्ज घमण्डी पि0 छुट्टन द्वारा अपने भाई गिर्राज को भूमि **Subletting** अथवा विक्रय करने का वाद पत्र में कोई कथन अथवा पत्रावली में कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अवेध सव लेटिंग के लिये खातेदार को वेदखल किया जा सके। अधिनियम के प्रारंभ होने की दिनांक को किसी व्यक्ति के खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होने की दशा में ही खसरा गिरदावरी की प्रविष्टियों को कास्तकार के रूप में काविज होने का प्रमाण लिया जा सकता है। गिरदावरी रेकार्ड ऑफ राइट्स को रिप्लेस ~~रिप्लेस~~ नहीं कर सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में घमण्डी गिर्राज पि0 छुटटन जाति जोगी को अधिनियम की धारा 15 (1) की परिभाषा में ही खातेदार दर्ज / एडमिट कर लिया गया था जो बाद में भी संवत् 2022 से 2025 में खातेदार दर्ज किये गये। धारा 15 (1) के अन्तर्गत दर्ज खातेदार काश्तकार को समस्त कानूनी अधिकार उसी दिनांक से अर्जित हो जाते है जो बाद में किसी वैधानिक तरीके से अन्य खातेदार को दिये जा सकते है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस में वादीगण के नाम बकाश्त प्रविष्टी के आधार पर धारा 19 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की मांग की है जो प्रासंगिक नहीं है क्योंकि धारा 19 खुदकास्त के कास्तकार (**tenant of khudkast**) एवं शिकमी कास्तकारों (**sub tenants**) को एपोइंटेड डेट (**appointed date**) पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान करती है जवकि प्रस्तुत प्रकरण में घमण्डी, गिर्राज पि0 छुट्टन दोनों भाईयों को पूर्व में ही संवत् 2014 में (प्रदर्श 4) खातेदार दर्ज कर एडमिट कर लिया गया था। धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्ग्रत पूर्व (संवत् 2014) में ही दर्ज खातेदार के अधिकारों का विलोपन नहीं किया जा सकता। धारा 15 व धारा 19 पूर्व भूमि अधिकारी जागीरदार वगैरा के विरूद्व

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

कृषकों के खातेदारी अधिकारों के अर्जन का प्रावधान करती है न कि खातेदारी प्राप्त काश्तकारों के अधिकारों के विलोपन का। पत्रावली में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व का कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने से संवत् 2014(प्रदर्श–4) में दर्ज खातेदार घमण्डी पि0 छुट्टन के खातेदारी अधिकारो का गिर्राज पि0 छुट्टन के पक्ष में विलोपन नहीं किया जा सकता। वादीगण अपना वाद पूर्व खातेदार घमण्डी पि0 छुट्टन के विरूद्ध सिद्ध करने में असफल रहे है। पुर्व खातेदार घमंडी पि0 छुट्टन की विरासत में प्रतिवादी संख्या 1,2 को प्राप्त खातेदारी अधिकार एंव उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये बयनामा स्थानान्तरित अधिकारों में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है। अतः वाद वादीगण सावित ना होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

(आदेश)

दावा वादीगण वावत आराजी खसरा नम्बर 1122 रकवा 0.68 हे. वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर सावित ना होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 15.03.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/286 सन् 2012

वउनवान

1.गोकल पुत्र गिर्राज जाति जोगी निवासी बसेठ
2.घनश्याम पुत्र गिर्राज जाति जोगी निवासी बसेठ
3.मदन पुत्र गिर्राज जाति जोगी निवासी बसेठ
4.श्याम पुत्र गिर्राज जाति जोगी निवासी बसेठ
5.तुलसीराम पुत्र गिर्राज जाति जोगी निवासी बसेठ
तहसील कठूमर जिला अलवर

----- डिक्रीदार

बनाम

1.माया पुत्री घमण्डी पत्नी छगनलाल जाति जोगी निवासी बसेठ
हालवासी लपारा तहसील राजगढ जिला अलवर
2.ललता पुत्री घमण्डी पत्नी कैलाशचन्द जाति जोगी निवासी बसेठ
हालवासी लपारा तहसील राजगढ जिला अलवर
3.शर्मी देवी पत्नी सुदर्शन जाति भाट निवासी नगली मेघा तहसील
राजगढ जिला अलवर

-- मदयूनान

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादीगण वावत आराजी खसरा नम्बर 1122 रकवा 0.68 हे. वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर सावित ना होने से खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 15.03.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर